

Witness No. _____ Description Sheet No. _____

प्रकरण क्रमांक 1491/13

दिनांक 12-11-16

प्रकरण आज लोक अदालत में पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ उफो।

आरोपीगण सहित अधिवक्ता श्री दिनेश गुजर एडो उपस्थित।

फरियादी महादेवी द्वारा राजीनामा आवेदन पेश किया गया है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे दर्जित है कि आरोपीगण के विरुद्ध भादस की घरा 294, 323/34, 506 भाग-2 भादसि के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार किया गया है जो न्यायालय की अनुमति उपरत राजीनामा योग्य है। फरियादी महादेवी ने आरोपीगण से स्वेच्छपूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना खता किया है। राजीनामा फरकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। फरियादिया राजीनामा करने के लिये स्तान है। अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार करते हुए उन्हें राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आरोपीगण फरियादी द्वारा समुक्त हस्ताक्षरित राजीनामा पेश किया गया है। अतः राजीनामा के अन्तर्गत आरोपी घनश्याम एवं रामा को भादस की घरा 294, 323/34, 506 भाग-2 भादसि के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण के जमानत मुचलके मारयुक्त किये जाते हैं।


प्रकरण का परिणाम वली में दर्ज कर प्रकरण अन्तिमकार भेजा जावे।

गोपेश राय
मैजिस्ट्रेट अधिकारी

लोक अदालत पीठ क्रमांक -22

सदस्य श्री प्रमोद रानी एड. गौहद

श्री सोहनसिंह तोमर एड. गौहद



पुनर्निर्देश

फरियादी

अधिवक्ता

गौहद

श्रीम. गौहद

अधिवक्ता

श्रीम. गौहद

श्रीम. गौहद

श्रीम. गौहद

श्रीम. गौहद